MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M SAYEED): (a) 4 cases have been reported in Delhi during the year 1992 in which domestic servants were involved in robbing their employees. The details of these cases are as under:

(1) On the complaint of one Shri Rajesh Dhawan, resident of Rohni that his servant alongwith his two associates attempted to rob his wife, a case FIR No. 85 dated 7.2.92 under section 394//397/34 IPC at Police Station Magolpuri, Delhi was registered. Two accused have been arrested and the other has been absconding. The case has been challaned in the court.

(2) On the complaint of one Shri Ashok Kumar, resident of Vikaspuri that his domestic servant alongwith one other boy put knife on his neck with a view to rob him, a csse FIR No. 370 dated 26.8.92 under section 394/397 IPC and 25/27/54/59 Arms Act was registered at Police Station Vikaspuri. One accused has been arrested and the other has been absconding. The case has been put in the Court.

(3) On receipt of an information from Police Control Room that there was quarrel at D-5, Defence colony, a police officer of Police Station defence colony reached the spot and arrested two servants who alongwith three other accused has conspired to rob the house. A case FIR No. 361 dated 30.7.92 under section 392/34 IPC was registered at police Station Defence Colony, New Delhi and all the five accused arrested. The case has been challaned in the court.

(4) On the complaint of one Smt. Birwa Wati Batra resident of New Friends Colony, New Delhi that her omestic servant committed robbery in her house, a case FIR No. 649 dated 17.10.92 under section 392 IPC was registered ast Police Station Srinivas puri, New Delhi and the accused arrested. The case has been challaned in the court.

(b) All the four cases have been worked out. The cases have been put in the courts.

(c) and (d) Yes Sir. The checking of antecedents of domestic servants is done by the local police. The particulars of the domestic servants are sent to district Police Stations of their residence for verification. The public also get the antecedents of their servants verified through the police. The response from public is encouraging.

(e) and (f) No such proposal is under consideration of the Government.

भोपाल के दंगों में मारे गये/घायल हुए व्यक्ति

1079. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1992 में मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में हुए दंगों के दौरान दंगाईयों ने कितने निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की तथा कितने व्यक्तियों को घायल किया तथा पुलिस कार्यवाही में कितने दंगाई मारे गये तथा उनके नाम और पते क्या हैं;

(ख) दंगों में मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों के आश्रितों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दंगाइयों द्वारा मारे गये निर्दोष व्यक्तियों के आश्रितों और पुलिस कार्यवाही में मारे गए दंगाइयों के आश्रितों को समान सहायता और सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो भिन्न स्थितियों में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को एक समान सहायता राशि देने के क्या मानदण्ड हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰एम॰ सईद): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अभी तक 113 मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को 2,48,60,000/-रु॰ की राशि और 144 घायल व्यक्तियों को 1,79,500/-रु॰ की राशि दी जा चुकी है।

(ग) वित्तीय सहायता देते समय राज्य सरकार ने दंगाइयों और निर्दोष व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता है।

(घ) केर सरकार ने सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मृत्यु या क्षमता के मामले में अनुदान के भुगतान के लिए प्रावधान हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकारों ने दंगों से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये मानदण्ड निर्धारित किए हैं।

भोपाल में दंगे

1080. **श्री कैलाश नारायण सारंग**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1992 में भोपाल शहर में हुए दंगों में हुई आगजनी, लूटपाट और अन्य घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य कितना है, जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति को क्षति पहुंची उनका ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कितनी हानि हुई;

(ख) जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति को क्षति पहुंची थी उन्हें मुआवजे अथवा सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है और इन व्यक्तियों को प्रत्येक व्यक्ति की क्षति पर अलग-अलग विचार किए बिना समान रूप से एक निर्धारित धनराशि अदा की गई अथवा प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति की क्षति का अलग-अलग आंकलन करने के बाद भिन्न-भिन्न धनराशि अदा की गई; और

(ग) यदि प्रत्येक व्यक्ति की हानि का आंकलन करने के बाद इन धनराशियों का भुगतान किया गया है, तो हानि का आंकलन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद): (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, क्षतिग्रस्त हुई सम्पत्तियों का कुल मूल्य अब तक 7.24 करोड़ रुपए आंका गया है। अब तक 6300 मामलों में 2.71 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया है।

जिन व्यक्तियों की संपत्ति का नुकसान हुआ तथा जिन्हें भुगतान किया गया, उनका ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

दंगों के शिकार हुए व्यक्तियों की सम्पत्ति के नुकसान/हानि के लिए दिए जाने वाली राहत के मानदण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। रोजी-रोटी का साधन समाप्त हो जाने, चल सम्पत्ति तथा अथवा पक्का घर/दुकान का नुकसान होने पर विभिन्न राशियां निर्धारित की गई हैं।

Involvement of Punjab terrorists in recent communal disturbances

1081. SHRI MOHAMMED AMIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Home Ministry are aware of the involvement of any Punjab terrorists in recent comunal disturbances in the country; and

(b) if so, what are the details?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) No such instance has come to the notice of the Govrnment.

Arms smuggle to intensify communal violence

1082. SHRI ASHIS SEN:
SHRI MOHAMMED AMIN:
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have specific intelligence reports on the plans to smuggle in arms to intensify the communal violence in the country; and

(b) if so, the details thereof?